उत्तराखंड हाईकोर्ट को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलीं

चर्चा में क्यों?

4 फरवरी को **न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश** के रूप में शपथ ली।

मुख्य बिंदु:

- उत्तराखंड के **राज्यपाल** लेफ्टिनेंट जनरल गुरुमीत सिंह ने जस्टिस बाहरी को पद की शपथ दिलाई।
    - उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में **नियुक्ति से पहले, न्यायमूर्ति बहरी ने वर्ष 2010 से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश** के रूप में कार्य किया।
- वह **नागरिक, संवैधानिक, कराधान, श्रम और सेवा मामलों में विशेषज्ञ** हैं।
- अपनी 24 वर्ष की कानूनी प्रैक्टिस के दौरान, उन्होंने **हरियाणा राज्य के लिये सहायक महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और वरिष्ठ उप महाधिवक्ता** के रूप में भी कार्य किया।

महाधिवक्ता

- **भारत के संविधान के भाग VI (राज्य) में अध्याय 2 (कार्यपालिका) का अनुच्छेद 165** राज्यों के लिये महाधिवक्ता के कार्यालय का प्रावधान करता है।
- उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिसे **उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिये योग्य होना चाहिये।**
- **महाधिवक्ता अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के पालन में राज्य के भीतर किसी भी** न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होने का अधिकारी है।
- महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही **में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-high-court-gets-first-woman-chief-justice